

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(3)(1)/पंचा/रानिआ/2024/482

दिनांक: 15.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

संदर्भ:-आयोग का पत्रांक 5221 दिनांक 31.12.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव, 2026 के लिए मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

आयोग का पत्रांक 5221 दिनांक 31.12.2025 आदेश के बिन्दु संख्या 3

“निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की जाएगी। सामान्यतः एक मतदान बूथ में 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए।”

उक्त के अतिरिक्त मतदान सामग्री यथा ईवीएम, मतपेटी एवं मानव संसाधन का उपयोग अधिकतम कुशलता एवं मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए यह उचित रहेगा कि यथा संभव न्यूनतम लगभग 900 एवं अधिकतम लगभग 1200 मतदाताओं की संख्या पर ही बूथ का गठन किया जाये।

साथ ही संदर्भित आदेश के बिन्दु संख्या 07 में दिये गये निर्देशों का भी ध्यान रखा जाये।

भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक: 15.01.2026

क्रमांक:एफ. 7(3)(1)/पंचा/रानिआ/2024/483-488

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. कम्प्यूटर शाखा को, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने तथा आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/स्टोर/सांख्यिकी शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव